

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-३/निदे०छा०(विविध)०४-०२/२०१७-

149
14.03.18


शुद्धि पत्र

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के पत्रांक-1621(भ) अनु० दिनांक-20.02.2018 के अनुरोध के आलोक में राज्य सरकार द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश-संख्या-54 दिनांक-25/08/17 के विवरणी क्रमांक-1 में " अनुसूचित जाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय अमरपुर सहरसा में मुख्य सड़क से विद्यालय तक पी०सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य। "

के स्थान पर

" अनुसूचित जाति आवासीय बालक उच्च विद्यालय अमरपुर सहरसा के परिसर में पी०सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य " पढा जाय।

2- स्वीकृत्यादेश संख्या-54 दिनांक-25/08/17 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।


(प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।


ज्ञापांक- 3/निदे०छा०(विविध)०४-०२/२०१७- 149 पटना,दिनांक- 14.03.18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, पटना बिहार/प्रधान सचिव वित्त विभाग, बजट, शाखा/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/संयुक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संबंधित कोषागार पदाधिकारी बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) प्रमंडलीय आयुक्त, सहरसा/निदेशक, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग /जिला पदाधिकारी, सहरसा /उप विकास आयुक्त, सहरसा /उप निदेशक, कल्याण, सहरसा /जिला कल्याण पदाधिकारी, सहरसा /संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहरसा भवन निर्माण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट प्रशाखा, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।